इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपद्य

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 267]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 मई 2022—ज्येष्ठ 3, शक 1944

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मई 2022

क्र. एफ-19-2-2019-बारह-1-पार्ट.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9ख के साथ पठित धारा 15 एवं धारा 23(ग) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 12 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (ग) में पूर्ण विराम के स्थान पर कालन स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परंतु पूर्व में अनुमोदित खनन योजना का हस्तांतरण जिला कलक्टर द्वारा किया जाएगा.''.

No. F 19-2-2019-XII-1-part.—In exercise of the powers conferred by section 15 and section 23(C) read with section 9B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Rules, 2019, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, In rule 12, in sub-rule (1), in clause (c), for the full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that already approved mining plan shall be transferred by the District Collector.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव.